न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—455/2015/223 (2015/00169)

1. रामपाल पुत्र भूरा,
2. श्योजी पुत्र भूरा,
3. हनुमान पुत्र भूरा,
4. बंशीलाल पुत्र भूरा,
5. रामराज पुत्र बद्री,
6. बालू पुत्र ओंकार,
7. गोपीराम पुत्र रायचन्द,
8. कानाराम पुत्र रायचन्द,
9. लालाराम पुत्र रायचंद,
10. रूपनारायण पुत्र भूरा,
11. जगदीश पुत्र भागीरथ,
12. पांचूराम पुत्र भागीरथ,

समस्त जाति जाट, निवासीगण श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तह0मोजमाबाद जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हनुमान दत्तक पुत्र छीतर, जाति जाट, निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

वादी/रेस्पोडेंट

2. रामकुंवार पुत्र बद्री,
3. रामेश्वर पुत्र रायचंद,
4. सायर पुत्र रामप्रताप,
5. मदन पुत्र रामप्रताप,
6. रामकैलाश पुत्र श्योजीराम,
7. श्योजी पुत्र रामदेव,
8. सुरजकरण पुत्र रामदेव,

समस्त जाति जाट, नि0 श्योसिंहपुरा उर्फ बासडा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

9. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू दिनांक 21.9.2015 अंतर्गत वाद संख्या 05/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. विरेन्द्र सिंह खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व 8 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 25.01.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खतौनी संख्या 46 की आराजी खसरा संख्या 12, 13 कुल किता 2 कुल रकबा 2.61000 है0 व खसरा संख्या 386, 471, 472, 474, 477 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4900 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.1000 है0 भूमि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है । खतौनी संख्या 47 की आराजी संख्या 24, 25, 134, 135, 137, 346, 347 कुल किता 7 कुल रकबा 2.1200 है0, खतौनी संख्या 49 की आराजी संख्या 44, 45, 46, 47, 405, 406 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3400 है0 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है उक्त आराजियात के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 मुताबिक जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है । उपरोक्त आराजियात अविभाजित आराजी है लेकिन मौके पर पक्षकारान ने बहामी बंटवारा कर लिया है और अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में विधिवत् तकासमा नहीं हुआ है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मध्य में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर वाद में दर्शाये अनुसार डिक्री पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2015 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर तहसीलदार को नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने की जो प्रक्रिया जाब्ता दीवानी में प्रावधान दिये है उनका अनुसरण नहीं किया । पक्षकारों की तलबी पूर्ण होने के बाद जवाब दावा लिया जावेगा तत्पश्चात् तनकियात कायम की जावेगी और उसके बाद वादी की साक्ष्य तथा प्रतिवादी की साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान करने के उपरांत बहस सुनकर निर्णय पारित किया जावेगा लेकिन अधी0न्याया0 ने उपरोक्त में से किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 की आदेशिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.4.2015 की पेशी पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.5.2015 नियत की है, पत्रावली दिनांक 4.5.2015 के बजाय दिनांक 19.6.2015 को नियत की गयी तो फिर कौन से नोटिस दिनांक

12.6.2015 को जारी किये गये तथा दिनांक 12.6.2015 को जारी नोटिस की तामील बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं है तो फिर किस प्रकार बिना संतुष्ट हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया । वादी का वाद अस्पष्ट था एक तरफ तो वह अपने वाद में यह कह आया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 ने मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है तथा उसने अपने खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी कर रखी है तथा नाड़ा बना रखा है तथा भूमि को उन्नत कर रखा है इसलिये तकासमा किया जावे वहीं दूसरी और भूमि अविभाजित होना बताता है इसलिये ऐसा वाद चलने योग्य नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व रिकार्ड मे खाता संख्या 46, 47, 48, 49 के बाबत् वाद प्रस्तुत किया है लेकिन उक्त खातों में विभिन्न सहखातेदारों ने बैंकों के यहां लोन लेकर गिरवी रखी है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार थे उनके बिना दावा चलने योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2005 को निरस्त किया जावे तथा वाद को विधिक प्रक्रिया अपनाया जाकर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलांट जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे है । अतः अपीलांटस निरस्त की जावे।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील को निर्णित किया जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.2.2015 को वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण की इंतजार तामील में दिनांक 21.9.2015 तक चलती रही । दिनांक 21.9.2015 को अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद दिनांक 21.9.2015 को प्राथमिक डिक्री करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण/तामील हेतु प्रयास किये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा एक बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत नोटिस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष नोटिस प्राप्त नहीं होने पर तामीली हेतु अन्य उपचार भी थे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को तामील कराये जाने हेतु कोई प्रयास किया जाना प्रकट नहीं होता है। अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये केवल मात्र वादी/रेस्पो0 के कथनानुसार वाद डिक्री किया है जबकि अधी0न्याया0 को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि वादी ने आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना तथा बिना प्रतिवादीगण की साक्ष्य कराये एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा

अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.9.2015 खारिज योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.9.2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियानुसार वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक 25.2.2019 को अधी0न्यायालय में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर